

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222538
SG-DL-E-17102020-222538

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 171
No. 224]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942	[N. C. T. D. No. 171

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

सं.फा. 3(52)/वित्त (राज.-1)/2020-21/डीएस-IV/122.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ संबंधित पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो, जब तक वे व्यापार एवं कर विभाग में ऐसे पद पर बने रहते हैं, अधिकारियों के निम्नलिखित वर्गों की नियुक्ति करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जिस पद पर उनकी नियुक्ति की गई है, संबंधित पद के समक्ष उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं:

- (1) विशेष आयुक्त, राज्य कर
- (2) अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर
- (3) संयुक्त आयुक्त, राज्य कर
- (4) उपायुक्त, राज्य कर
- (5) सहायक आयुक्त, राज्य कर

- (6) माल एवं सेवा कर अधिकारी
- (7) माल एवं सेवा कर निरीक्षक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उपसचिव-IV (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th October, 2020

F. No. 3(52)/Fin(Rev.-I)/2020-21/DS-IV/122.—In exercise of the powers conferred by Section 3, read with sub-section (1) of Section 4 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following class of officers for purposes of this Act and confer upon them the power of the respective post against which they are appointed under the said Act, with effect from the date of assumption of charge of the respective posts as the case may be, so long as they hold such post in the Department of Trade & Taxes :

1. Special Commissioners of State Tax
2. Additional Commissioners of State Tax
3. Joint Commissioners of State Tax
4. Deputy Commissioners of State Tax
5. Assistant Commissioners of State Tax
6. Goods and Service Tax Officers
7. Goods and Service Tax Inspectors

By Order and in the Name of the L. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)